



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ मल्लसर्ज एम मंगोड़ी
क्षेत्रीय निदेशक/असोशिएट प्रोफेसर
Dr Mallasarja M Mangodi
Regional Director/ Associate Professor

दूर शिक्षा निदेशालय
Directorate of Distance Education

023/08/प्र.वि./एमबीए.प्र./023

दिनांक: 05/05/2015

सूचना

दिनांक 14 अगस्त, 2014 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित प्रवेश संबंधी सूचना के आलोक में अवगत कराना है कि अकादमिक वर्ष 2009 से 2012, 2010 से 2013, 2011 से 2014 (जनवरी व जुलाई सत्र), 2012 से 2015 (जनवरी व जुलाई सत्र) में प्रबंधन (एमबीए व बीबीए) पाठ्यक्रमों में किन्हीं कारणवश प्रवेश पाने में असफल रहे विद्यार्थी दिनांक 15 मई, 2015 तक निर्धारित शुल्क ₹11,200/- (एमबीए) तथा ₹9,000/- (बीबीए) के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं।

इस संबंधी आवेदन-पत्र, विषय-विशेषज्ञता पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यदि किसी विद्यार्थी द्वारा पूर्व में संबंधित सत्र में प्रवेश पाने हेतु शुल्क जमा किया गया हो और प्रवेश सूची में उनका नाम न आया हो तो कृपया शुल्क की जमा रसीद/ माँगपत्र/ ट्रांजैक्शन आईडी की छायाप्रति आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न कर मुख्यालय वर्धा में भेज कर अपना प्रवेश सुनिश्चित कराएँ।

ह/-

(क्षेत्रीय निदेशक)
अकादमिक प्रकोष्ठ